कार्यालय उप वनमण्डल करैरा, वनमण्डल शिवपुरी (म0प्र0)

Sub Divisional Karera Email id - sdoftkarera@mp.gov.in Mob. - 9424794800

क्रमांक / शि.लि. / 2020 / 1505 शिवपुरी,दिनांक 22/07/2020

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,

सा.वनमण्डल, शिवपुरी

विषय :– शिवपुरी जिले में (Jio digital fiber pvt lit द्वारा Pichore-Khaniyadhana–Rute ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.5 ha भूमि के प्रस्ताव की स्वीकृति जारी करने बावत। FP/MP/OFC/40471/2019)

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / डी.एम. / 2944 दिनांक 17.06.2020 एवं वन परिक्षेत्राधिकारी, पिछोर का पत्र क्रमांक 801 दिनांक 20.07.2020 जो आपको पृष्ठांकित है।

—00—

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा परिक्षेत्राधिकारी, पिछोर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें संबंधित के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 650 / 04 दिनांक 15.07.2020 दर्ज कर प्रकरण की जांच की गई है, जिसमें मौके पर लम्बाई 5 कि.मी. , चौड़ाई 50 से.मी. एवं गहराई 01 मीटर में अवैध खनन कर पाईप लाईन डालना पाया गया। उक्त प्रकरण की छायाप्रति पत्र के संलग्न अवलोकनार्थ प्रेषित है।

वांछित प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एम.के.सिंह)
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल करैरा

आ.नि.प्र.
22.7.20

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र पिछोर सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

ई–मेल – rotpichore@mp.gov.in फोन नम्बर – 07496-244190 Mob 9424794765

क्रमांक/ 801 पिछोर, दिनांक/ 20-7-2020

प्रति,

उप वनमण्डलाधिकारी महोदय
उप वनमण्डल करैरा
सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

विषय :– शिवपुरी जिले में (Jio digital fiber limited) द्वारा पिछोर–खनियॉधाना रोड ओ.एफ.सी. लाइन डालने हेतु 0.500 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव की स्वीकृति जारी करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/शि.लि./2020/1378 दिनांक 23.06.2020

––00––

उपरोक्त विषयांर्तगत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि **Jio digital fiber limited** द्वारा वन परिक्षेत्र पिछोर की वीट चरकोला–ब के वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 319 एवं 317 में बिना स्वीकृति के लगभग 2 माह पूर्व अवैध रुप से खुदाई कर लंबाई 5 किलोमीटर , चौडाई 50 सेमी, गहराई 01 मीटर में लगभग 04 किलोमीटर में अवैध रुप से पाइप (केवल कबर) एवं 01 किलोमीटर में केवल पाइप ही अवैध रुप से डला पाया गया। मौके पर प्रारंभिक एवं अंतिम बिन्दुओं की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई जो इस प्रकार है :–

प्रारंभिक बिन्दु N25^0 00' 55.10" E78^0 03' 10.20"

अंतिम बिन्दु N25^0 01' 33.90" E78^0 01' 14.50"

जिस पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 650/04 दिनांक 15.07.2020 दर्ज कर प्रकरण की जॉच की गई, जिसमें मौके पर लंबाई 5 किलोमीटर , चौडाई 50 सेमी गहराई 01 मीटर में अवैध खनन कर पाइप लाइन डालना पाया गया। प्रकरण की जॉच में Jio digital fiber limited द्वारा अधिकृत श्री सरजू पुत्र पुरुषोत्तम पचौरी ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराये, एवं कम्पनी द्वारा भूलवश हुई गलती स्वीकार कर, वन विभाग से राजीनामा चाहा है।

प्रतिवेदन श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :– प्रकरण की छाप्रति।

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी करैरा
आ क्र. 786
22/7/2020
करैरा (म.प्र.)

22/7/2020

(अनुराग तिवारी)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र पिछोर व.मं. शिवपुरी

पृष्ठांकन क्रमांक/ 802 पिछोर दिनांक/ 20-7-2020

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी महोदय वनमण्डल शिवपुरी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र पिछोर व.मं. शिवपुरी

(भाग दूसरा) R.C.No. 81/2020

मोहकमा जंगल, मध्यप्रदेश

बकुआ जुर्म की अव्वल रिपोर्ट 650

नम्बर रिपोर्ट 650/04 तारीख 15/07/2020 माह सन् 200 ई.

मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड

3. किस्म जुर्म भा.व.अधि.1927 की धारा 26 व 8 के तहत धर्षेण उत्खनन कर केबल डालना

4. जगह जहां जुर्म वाके हुआ बीट - चरकोला कक्ष - RF 317, RF 319

5. तारीख बकुआ जुर्म 15/07/2020

6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई 500 मी. आ.एफ.सी. केबल जप्त कर पंचनामा तैयार किया

7. नाम गवाहान (1) प्रशांत दोंगी व.र. (2) मनोज पुरोहित व.र.

दूसरा भाग रेंज असिस्टेंट साहब खनियांधाना सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब पिछोर रेंज को भेजा गया

दस्तखत फारेस्ट गार्ड

मुकाम खनियांधाना

तारीख 15/07/2020 नाका खनियांधाना

नोट :- यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के अपने आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

सत्यापित

उप वनमण्डलाधिकारी करैरा, व. म. शिवपुरी

श्रीमान उप वन मंडलाधिकारी महोदय
सा० वन मंडल शिवपुरी (म०प्र०)

द्वारा :- श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी महोदय पिछोर

विषय :- जिओ डिजिटल फाइबर प्रा०लि० द्वारा खनियाँधाना से करवाया मार्ग में बगैर अनुमति के वन क्षेत्र में खुदाई करने बावत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि श्रीमान के पत्र क्रमांक 1378 दि० 23/06-2020 के पालन में खनियाँधाना से करवाया मार्ग के किनारे जिओ कम्पनी द्वारा लगभग दो से तीन माह माह पहले बिना स्वीकृति के बीट चकलोनखुर्द के कक्ष क्र० RF 319, 317 में केबिल डालने हेतु खुदाई का कार्य किया गया था, जिसकी लम्बाई, चौड़ाई, गहराई की नाप ~~आज~~ दिनांक 15-07-2020 को की गई एवं मौके पर जिओ कम्पनी के किसी भी व्यक्ति के न मिलने से उसके सड़क किनारे रखी लगभग 500 मी० OFC केबिल को जप्त कर P.O.R N-650/04 दि० 15-07-2020 जारी कर प्रकरण कायम किया। G.P.S रीडिंग गया वन क्षेत्र के प्रारम्भ और अंत खुदाई क्षेत्र की ली गई। प्रकरण की जाँच मे जिओ प्रा०लि० की ओर से अधिकृत श्री सरजू पु० श्री पुरुषोत्तम दास पचौरी ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराये कम्पनी द्वारा भूलवश हुई गलती को स्वीकार कर वनविभाग से कम्पनी की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर वनविभाग से राजीनामा चाहा गया है। प्रतिवेदन श्रीमानजी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सत्यापित
उप वनमण्डलाधिकारी
करैरा, व. म. शिवपुरी

[signature] 20-7-2020
रविशंकर परिहार
उ.व. से
प. स. खनियाँधाना

87008 33131